

मुसलमि महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार

प्रलमिस के लयि:

तलाकशुदा मुसलमि महिलाओं के भरण-पोषण का अधिकार, [सर्वोच्च न्यायालय](#), [आपराधिक प्रक्रिया संहिता \(CrPC\)](#), [मुसलमि सत्री \(वविह वचिछेद पर अधिकार संरक्षण\) अधनियम, 1986](#)

मेन्स के लयि:

तलाकशुदा मुसलमि महिलाओं का भरण-पोषण का अधिकार, सरकारी नीतयिँ और वभिन्न क्षेत्त्रों में वकिस के लयि हस्तक्षेप और उनके डज़ाइन और कार्यानवयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे ।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने यह जौँचने का फैसला कयि है कि क्यि एक तलाकशुदा मुसलमि महिला अपने पूरव पतिके खलिफ [आपराधिक प्रक्रिया संहिता \(CrPC\)](#) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है, जसिसे यह बहस फरि से शुरू हो गई है कि क्यि धर्मनरिपेक्ष कानूनों को अलग-अलग वयक्तगत कानूनों पर प्राथमकता दी जानी चाहयि ।

- यह वविद तब उत्पन्न हुआ जब एक मुसलमि वयक्त ने अपनी पूरव पत्नी को अंतरमि गुज़ारा भत्ता देने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के नरिदेश को चुनौती दी ।
- तर्क दयि गया है कि इस मामले में भरण-पोषण **CrPC** की धारा 125 पर प्रचलति [मुसलमि सत्री \(वविह वचिछेद पर अधिकार संरक्षण\) अधनियम, 1986](#) (1986 अधनियम) के प्रावधानों द्वारा शासति होगा ।

मुसलमि सत्री अधनियम, 1986 कैसे वकिसति हुआ है?

- **1986 से पहले: CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण:**
 - [मुसलमि सत्री \(वविह वचिछेद पर अधिकार संरक्षण\) अधनियम, 1986](#) के अधनियमन से पहले, मुसलमि महिलाएँ अन्य समुदायों की महिलाओं की तरह [आपराधिक प्रक्रिया संहिता \(CrPC\)](#) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती थी ।
 - मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, 1985 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से इसकी पुष्टि हुई ।
- **1986 अधनियम:**
 - शाह बानो मामले के जवाब में, भारतीय संसद ने मुसलमि महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधनियम बनाया, जसिसे तलाकशुदा मुसलमि महिलाओं को **भरण-पोषण का दावा** करने के लयि एक वशिष्ट तंत्र प्रदान कयि गया ।
 - इसने भरण-पोषण की अवधि को इद्दत अवधि तक सीमति कर दयि और **राशिको महिला को दयि जाने वाले मेहर या दहेज़ से जोड़** दयि ।
 - **इद्दत** एक अवधि है, आमतौर पर तीन महीने की, जसि एक महिला को अपने पतिकी मृत्यु या तलाक के बाद पुनर्वविह करने से पहले पालन करना होता है ।
- **डेनयिल लतीफी बनाम भारत संघ मामला, 2001:**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1986 के अधनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा लेकिन मुसलमि महिला के पुनर्वविह तक भरण-पोषण पाने का अधिकार बढ़ा दयि । हालाँकि इसने भरण-पोषण की अवधि को घटाकर इद्दत पूरा करने तक कर दयि ।
- **वर्ष 2009:**
 - वर्ष 2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि तलाकशुदा मुसलमि महिलाएँ **CrPC की धारा 125 के तहत इद्दत अवधि के बाद भी गुज़ारा भत्ता का दावा** कर सकती हैं, **जब तक कयि पुनर्वविह नहीं** करती हैं ।
 - इसने इस सदिधांत की पुष्टि की कि **CrPC** प्रावधान कसि भी धर्म पर लागू होता है ।
- **वर्ष 2019:**
 - **पटना उच्च न्यायालय** ने इस बात पर ज़ोर दयि कि तलाकशुदा मुसलमि महिलाओं के पास **CrPC की धारा 125 और वर्ष 1986 अधनियम** दोनों के तहत **गुज़ारा भत्ता मांगने का वकिल्प** है ।

- यह दोनों कानूनों की समवर्ती प्रयोज्यता को रेखांकित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि मुस्लिम महिलाएँ किसी भी प्रावधान के तहत अपने अधिकारों से वंचित न हों।

■ वर्तमान मामला:

- वर्तमान मामले में अपीलकर्ता की अपील शामिल है, जिसकी पूर्व पत्नी ने हैदराबाद में एक पारिवारिक न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने उसे तलाक दिया था और साथ ही **CrPC की धारा 125** के तहत **मासिक रखरखाव का दावा** किया था।
- पति ने तर्क दिया कि **मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986** के प्रावधान, एक विशेष कानून होने के कारण CrPC की धारा 125 पर प्रभावी होंगे।
 - उन्होंने तर्क दिया कि पारिवारिक न्यायालय के समक्ष राहत की मांग नहीं की जा सकती क्योंकि **विर्ष 1986 का अधिनियम प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को महर तथा अन्य नरिवाह के मुद्दे पर नरिणय लेने का अधिकार क्षेत्र** प्रदान करता है।
 - उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पत्नी ने **विर्ष 1986 अधिनियम की तुलना में CrPC प्रावधानों के लिये अपनी प्राथमिकता** बताते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई हलफनामा दायर नहीं किया, जैसा कि **बाद की धारा 5** के अनुसार आवश्यक था।

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019:

- एक मुस्लिम महिला जिसे उसके पति ने तलाक कहकर तलाक दे दिया है, वह **मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019** के तहत भरण-पोषण भत्ता मांग सकती है।
 - यह अधिनियम एक मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को मौखिक, लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी भी अन्य तरीके से तलाक की किसी भी घोषणा को शून्य एवं अवैध घोषित करता है।
 - यह अधिनियम एक विशेष कानून है जो **आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के प्रावधानों को समाप्त** करता है, जो पत्नियों, बच्चों तथा माता-पिता के भरण-पोषण से संबंधित है।
 - हालाँकि एक **तलाकशुदा मुस्लिम महिला, अधिनियम द्वारा शासित नहीं** होने और किसी अन्य कानून या विवाह के तहत उपलब्ध अन्य उपायों का विकल्प चुन सकती है।

मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या हैं?

- **विर्ष 1986 अधिनियम की धारा 3 की व्याख्या:**
 - न्यायालय के अनुसार **विर्ष 1986 के अधिनियम की धारा 3** में एक **गैर-स्पष्ट खंड** है (तत्समय लागू किसी भी अन्य कानून में कुछ भी शामिल होने के बावजूद) यह दर्शाता है कि यह **CrPC की धारा 125 जैसे अन्य कानूनों** के तहत वैकल्पिक उपचारों पर रोक नहीं लगाता है।
- **एमकिस क्यूरे/न्याय मंत्रि प्रसूतीकरण:**
 - एमकिस क्यूरे/न्याय मंत्रि ने न्यायालय की टिप्पणी से सहमत व्यक्ति की और इस बात पर एक आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता पर जोर दिया कि **विर्ष 1986 का अधिनियम CrPC की धारा 125 के तहत अधिकार को समाप्त कर देता है।**
 - **एमकिस क्यूरे/न्याय मंत्रि** वह व्यक्ति या संस्था है जो मामले में पक्षकार नहीं है लेकिन न्यायालय को नरिणय लेने में सहायता करने के लिये विशेषज्ञता या जानकारी प्रदान करता है।
- **संवैधानिक सिद्धांत:**
 - न्यायाधीशों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि **विर्ष 1986 के अधिनियम की व्याख्या** यह सुनिश्चित करने के लिये की जानी चाहिये कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएँ देश में अन्य तलाकशुदा महिलाओं के लिये उपलब्ध सभी भरण-पोषण के अधिकारों की हकदार हैं।
 - उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के साथ कम अनुकूल/प्रतिकूल व्यवहार करना **अनुच्छेद 14, 15 और 21 सहित संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन** होगा।
- **वधायी आशय:**
 - याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारज़ करते हुए कि **विर्ष 1986 के अधिनियम का उद्देश्य** मुस्लिम महिलाओं को CrPC की धारा 125 के तहत राहत की मांग करने से रोकना था, न्यायालय ने कहा कि यदि ऐसा वधायी आशय था, तो अधिनियम में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया होगा।
 - ऐसी स्पष्ट भाषा की अनुपस्थिति का अर्थ है कि **मुस्लिम महिलाओं पर धारा 125 के तहत राहत की मांग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।**

संबंधित पूर्व न्यायिक उदाहरण क्या हैं?

- **अरशिया रज़िवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला, 2022, रज़िया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला, 2022 और शकीला खातून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला, 2023** जैसे फैसलों में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के दावे के अधिकार की पुष्टि की है कि **इददत अवधि पूरी होने के बाद भी CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण/नरिवाह का प्रावधान है, जब तक कि वह विवाह/निकाह नहीं कर लेती।**
- **मुजीब रहमान बनाम तस्लीमा मामला, 2022** में केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने नरिणय किया कि **1986 अधिनियम की धारा 3 के तहत**

अनुतोष प्राप्त न होने तक एक वधिछन्निन वविह/तलाकशुदा मुस्लिम महिला CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती है।

◦ यह आदेश तब तक क्रियान्वति रहता है जब तक की धारा 3 के तहत संबद्ध व्यक्ति द्वारा देय राशिका भुगतान नहीं कर दिया जाता।

- नौशाद फ़्लोरशि बनाम अखलि नौशाद, केस 2023 में केरल उच्च न्यायालय ने नरिणय कथि कएक मुस्लिम पत्नी जसिने खुला (पत्नी के कहने पर और उसकी सहमतिसे तलाक) की घोषणा करके तलाक लिया था, वह CrPC की धारा 125 के तहत अपने पतिसे भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती है।

◦ CrPC की धारा 125(4) के अनुसार, एक पत्नी की अपने पति के साथ रहने की अनचिछा अनविर्य रूप से उससे मुक्त होने के लयि खुला के माध्यम से तलाक के लयि दाखलि करने के समान है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न: भारत के संवधान का कौन-सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्तिसे वविह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? (2019)

- (a) अनुच्छेद 19
- (b) अनुच्छेद 21
- (c) अनुच्छेद 25
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- वविह का अधिकार भारत के संवधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक घटक है, जसिमें कहा गया है कि "कानून द्वारा स्थापति प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचति नहीं किया जाएगा"।
- लता सहि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में वर्ष 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संवधान के अनुच्छेद 21 के तहत वविह के अधिकार को जीवन के अधिकार के एक घटक के रूप में देखा।

अतः वकिल्प (b) सही उत्तर है।

?????????:

प्रश्न: रीति-रिवाजों एवं परंपराओं द्वारा तरक को दबाने से प्रगतविरिोध उत्पन्न हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं? (2020)